..... का पत्र क्र. 4

2/12/14 कलेक्टर महोदय, शासन, पंचायत व ग्राम
कल्याण विभाग, रायपुर के पत्र के क्रम में पंचायत
अधिनियम लागू नहीं चाहते हैं लेकिन अनुसूचित
क्षेत्रों में प्रभावित होकर अधिनियम लागू
करना चाहते हैं अतः अधिनियम लागू
करने हेतु निर्देश प्रदान करें। उपरोक्त विषय
कृपया ही

उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ़